

सं० 27/10/2013-एस०आर०एस०
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

तीसरा तल, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली ।
दिनांक 18 दिसम्बर, 2013

सेवा में,

मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन
सचिवालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश ।

मुख्य सचिव
उत्तराखंड शासन
सचिवालय, देहरादून
उत्तराखंड ।

18 DEC 2013

विषय:-दिनांक 18.09.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की संस्तुति की अनुपालन में माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं० 177/एस०बी०/10- तेजपाल वर्मा बनाम राज्य एवं अन्य में पारित दिनांक 07.05.2013 के निर्णय का अनुपालन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं० 177/एस०बी०/2010- तेजपाल वर्मा बनाम राज्य एवं अन्य में पारित दिनांक 07.05.2013 में श्री तेजपाल सिंह वर्मा के अंतिम आवंटन हेतु भारत सरकार को निर्देशित किया था । परामर्शी समिति की दिनांक 18.09.2013 को आयोजित बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया । समिति को अवगत करवाया गया कि इस के दौरान श्री वर्मा अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो चुके हैं । समिति द्वारा यह संस्तुति की गई कि क्योंकि वह उत्तराखंड से सेवानिवृत्त हुए हैं, अतः नियमानुसार सेवानिवृत्ति के सभी लाभ उन्हें उत्तराखंड से ही प्राप्त होंगे ।

2. भारत सरकार परामर्शी समिति की उपर्युक्त संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्री तेजपाल सिंह वर्मा का सेवानिवृत्ति का सभी लाभ उत्तराखंड से ही प्राप्त होंगे ।

3. कार्मिक को इस निर्णय के बारे में सूचित किया जाए ।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

- श्री अशोक घोष, प्रमुख सचिव, उ०प्र० पुनर्गठन समन्वय विभाग, 46, बहुखण्डी भवन, सचिवालय, लखनऊ ।
- श्रीमती हेमलता ढौंडीयाल, सचिव, उत्तराखंड पुनर्गठन विभाग, सचिवालय, देहरादून

भवदीय,
[Signature]
(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार
प्रति और निर्णय अनुभाग
Receipt & Issued Section
18 DEC 2013
जारी किया/ISSUED